कार्यालय,नगर परिषद जमालपुर

पत्रांकः–......................

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जमालपुर

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I, बिहार पटना

जमालपुर/दिनांकः–................

विषय– अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 613/2013-14 के शेष बचे कंडिका का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः– पत्रांकः–LA/SS-I/A.C/I.R.613/13-14/580 दिनांकः–09/03/2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि नगर परिषद जमालपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13 में किये गये अंकेक्षण का शेष बचे कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन कंडिकावार तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,जमालपुर

ज्ञापांक– 2909 दिनांक –05/12/18

प्रतिलिपि – सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,जमालपुर

05-12-18

F:\SHASHI(ICL)\N.P\LT/UD&HD

नगर परिषद जमालपुर

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 – 613/2013–14 का शेष बचे आपत्ति कंडिका का निराकरण प्रतिवेदन

क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
1.	1.	प्रस्तावना।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	2.	प्रशासन ।	कोई टिप्पणी नहीं
3.	3.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	अंकेक्षण द्वारा माँग की गई सभी अभिलेख उपस्थापित कर दिया गया है।
4.	4.	पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।	पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा में से प्रतिवेदन सं0 – 407/2007–08 वर्ष 2002–03 से 2006–07,11/2009–10 वर्ष 2007–08, 184/2011–12 वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 तथा 470/2012–13 वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा महालेखाकार बिहार पटना को भेजी गई है। आपत्ति कंडिकायें में से निरस्त कंडिकायें एवं लंबित कंडिकायें की सूची महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई है जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। (देखें Annexure -1)
5.	5.	प्रमुख लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ।	सुझावो का अनुपालन किया जा रहा है।
6.	6.	आंतरिक लेखा परीक्षा।	बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 के आलोक में आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। (देखें Annexure -2)
7.	8.	बैंक समाधान विवरणी	बी0 आर0 जी0 एफ0, एस0 जे0 एस0 आर0 वाई0, जनगणना 2011 एवं पेंशन निधि का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर लिया गया है। रोकड़ बही शेष एवं बैंक पासबुक का मिलान हो गया है। (देखें Annexure -3)
8.	12.	निधि (13वीं वित्त मद)	नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0 – 3253 दिनांक 27.10.2014 द्वारा 13वें वित्त मद की राशि में से 10–20 प्रतिशत राशि को नाला निर्माण पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई (देखें Annexure -4)
9.	13.	कम/नहीं जमा	कम/नहीं जमा की गई राशि को जमा कर दी गई है। (देखें Annexure -5)
10.	14.(क)	विभिन्न प्रकार के करों/शुल्कों का अधिरोपन नहीं	बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 129 (ख)(ग) 342, 345, 148, 421 के आलोक में अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली की जा रही है। (देखें Annexure -6)
11.	14.(ख)	लाईसेंस शुल्क की वसुली नहीं किये जाने से राजस्व क्षति	बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 129 (ख)(ग) 342, 345, 148, 421 के आलोक में अंकेक्षण द्वारा सुझावित 109 जनरेटर मालिकों एवं 61 मील लाईसेंसधारकों से अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण शुल्क की वसूली की जा रही है।
12	16.	सरकारी भवनों पर होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि	सरकारी भवनों से होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि वसूल कर ली गई है। (देखें Annexure -7)
13	17.	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाना।	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का 10 प्रतिशत काटकर नियमानुसार शेष राशि राज्य कोषागार में जमा कर दी गई है। (देखें Annexure -8)

5/12/18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, जमालपुर

05-12-18

क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
14	18.(ख)	दुकानों का अवैध कब्जा	नगर परिषद के दुकानों में अवैध रूप से दुकानदारी कर रहें लोगों से दुकान को मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
15	18.(ग)	दुकानों के किरायों पर लम्बी अवधि से पुर्ननिर्धारण नहीं	इसके लिये बोर्ड में प्रस्ताव लेकर कार्रवाई की गई है। (देखें Annexure -9)
16	20.	सैरात के बन्दोबस्ती राशि की कम वसूली	कम वसूल की गई राशि को संबंधित बन्दोबस्तधारी से वसूल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। (देखें Annexure -10)
17	21.	सैरात बन्दोबस्ती का स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किया जाना	मो0 29790/– रू0 संबंधित/जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल कर ली गई है। (देखें Annexure -11)
18	22.	योजनाओं की स्वीकृति में नियमों की अनदेखी कर अनियमित भुगतान	नगर परिषद जमालपुर अन्तर्गत पाईप लाईन जलापूर्ति व्यवस्था नहीं रहने के कारण जनहित में चापाकल को गर्मी के पूर्व लगाया जाना आवश्यक था इसलिए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु योजनाओ को ग्रुप में अलग–अलग बॉटकर निविदा की गई। यह प्रयास सफल रहा तथा सभी योजनाएँ ससमय पूर्ण हो गई एवं आमजनों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ।
19	23.	एकल निविदा पर अनियमित व्यय	सक्षम संवेदक के भाग नहीं लेने के कारण एकल निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर लिया जायेगा। जनहित में योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु एवं निविदा की लंबी प्रकिया की अवधि कम करने हेतु ऐसा किया गया। निविदा विधिवत की गई तथा कार्य ससमय पूर्ण हुआ है।
20	24.	पेय जलापूर्ति योजनान्तर्गत अनुदानों का पी0 एच0 ई0 डी0 को स्थानान्तरण राशि का अभिलेख अप्रस्तुत	पी0 एच0 ई0 डी0 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र, मासिक प्रगति प्रतिवेदन इत्यादि नगर परिषद को उपलब्ध कराया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। (देखें Annexure -12)
21	25.	विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं।	योजनाओं की अवधि विस्तार की स्वीकृति नगर परिषद बोर्ड से प्राप्त कर ली गई है इसलिए विलंब शुल्क की कटौती नहीं की गई। (देखें Annexure -13)
22	26.	कटौती रॉयल्टी,वैट एवं आयकर की राशि को जमा नहीं किया जाना	कटौती की गई राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कर दी गई है। (देखें Annexure -14)
23	27.	भविष्य निधि के कटौती राशि संबंधित खातों में जमा नहीं।	कर्मचारियों के वेतन से की गई भविष्य निधि के कटौती राशि संबंधित खातों में जमा कर दी गई है। (देखें Annexure -15)
24	28.	संविदा पर नियुक्त मानदेयकर्मी पर अनियमित भुगतान	नगर परिषद जमालपुर में कर्मियों की कमी को देखते हुए संविदा के आधार पर नगर परिषद बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर नियुक्ति की गई है वेतन का भुगतान नगर परिषद कोष से किया जा रहा है जिसके लिए नगर निकाय सक्षम है।
25	29.	श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना	श्रम उपकर की कटौती प्रारंभ कर दी गई है तथा कटौती की गई राशि जमा की जा रही है। (देखें Annexure -16)
26	30.	मूल्य वर्द्धित कर की कम कटौती किया जाना	इसकी वसूली संबंधित संवेदक से की जायेगी।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, जमालपुर
05-12-18

क्रम सं0	कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
27	31.	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय	नगर परिषद जमालपुर में सफाई मजदूरों का स्वीकृत पद 208 के विरूद्ध 109 मजदूरों कार्यरत रहने के कारण दैनिक मजदूरों से विशेष परिस्थितिवश कार्य लिया गया तथा इसकी मजदूरी भुगतान की गई। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक – 3839 दिनांक – 25.10.2012 द्वारा निर्देश प्राप्त है। वर्तमान में कोई दैनिक मजदूर कार्यरत नहीं है। नाला सफाई का कार्य सरकारी निर्देशानुसार एन0जी0 ओ0 के माध्यम से कराया जा रहा है।
28	32.	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	कोई टिप्पणी नहीं
29	33.	लेखा परीक्षा परिणाम	कोई टिप्पणी नहीं
30	34.	सामान्य अभियुक्ति	सुझावों का अनुपालन किया जा रहा है।

25/11/18

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जमालपुर

05-12-18

E/audit compliance report FY 2012-13-new